रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 मार्च, 2000/10 चैत्र, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

धर्मशाला-176215, 23 मार्च, 2000

संख्या पंच-के०जी०आर०-ई०(20) 47/91-7038-46.—चूंकि श्री हंस राज, प्रधान, ग्राम पंचायत कलोहा, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा, (हि० प्र०) के विरुद्ध श्री हुक्म सिंह ने शिकायत की है, जिसकी जांच रिपोर्ट निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुई है;

और चूंकि श्री हुक्म सिंह की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/97, जो थाना प्रभारी ज्वालामुखी को आवश्यक केस दर्ज करने हेतु प्रेषित की है, की जांच पड़ताल अनुसार तिथि 9-10-92 को ग्राम सुधार सभा कलोहा द्वारा प्रस्ताव नं0 2 के अन्तर्गत मु0 6000/- रु0 राजकीय उच्च पाठशाला कलोहा के भवन की मुरम्मत हेतु "गांव भी अपना काम भी अपना" योजना अनुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रधान, श्री हंस राज के पास जमा करवाए गए थे, जिसकी पुष्टि उक्त ग्राम सुधार सभा का रोकड़बही की पृष्ठ संख्या 20, दिनांक 9-10-92 से होती है, परन्तु प्रधान द्वारा उक्त राशि न ही पंचायत रोकड़ में उक्त तिथि पर या इसके बाद दर्ज करवाई गई और न ही कोई अनुदान स्वीकृत करवाया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रधान ने अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए उक्त राशि का गबन किया और उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस विभाग के पुनर्निरीक्षण एवं अन्तिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

और चूंकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित कार्य मस्ट्रोल 1/1995 के क्रम संख्या 3 पर कटिंग करके श्री सुरेश कुमार सुपुत्र श्री पिरथी चन्द का नाम अंकित किया है जिसे 1-1-95 से 15-1-95 तक काम पर दिखाया गया है, परन्तु श्री सुरेश कुमार, जोकि राजकीय उच्च पाठशाला कलोहा में विद्यार्थी था, पाठशाला प्रलेखानुसार जनवरी, 1995 में तिथि 3, 7, 13 व 14 को अवकाश पर था तथा तिथि 1, 8 व 15-1-95 को रविवारीय अवकाश था, इसलिए स्पष्ट है कि अन्य तिथियों अर्थात 8 दिन उक्त व्यक्ति की उपस्थिति एवं अदायगी अवैध दर्शाई गई है, जोकि प्रधान, श्री हंस राज द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 का स्पष्टतया उल्लंघन है ;

और चूंकि उपरोक्त आरोपों के दृष्टिगत, प्रधान श्री हंस राज का ग्राम पंचायत कलोहा के प्रधान पद पर बने रहना जनहित में तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है।

अतः मैं, एस0 आर0 शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2), जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1)(ए) के साथ पढ़ा जाए, श्री हंस राज प्रधान, ग्राम पंचायत कलोहा, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, को इस आदेश के जारी होने की तारीख से निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि उक्त नियम के उपनियम (3) के अन्तर्गत, प्रधान की निलम्बनावधि में उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलोहा द्वारा, प्रधान पद के समस्त कार्यों तथा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

एस0 आर0 शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

ऊना, 16 मार्च, 2000

संख्या पी0 सी0 एच0-पंच-ऊना (4) 106/92.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा ने अपने कार्यालय पत्र सं0 760, दिनांक 6-3-2000 व निरीक्षण पत्र में उठाई गई आपत्तियों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्रीमती सुनीता कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत चमियाड़ी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना द्वारा अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सभा निधि का सीधा गबन कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/420 की स्पष्ट अवहेलना की है।

1. यह कि श्रीमती सुनीता कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत चमियाड़ी, विकास खण्ड बंगाणा द्वारा विकास कार्यालय के चैक संख्या 331518, दिनांक 2-3-98 को रु03,929/- रु0 लिंक रोड़ खेड़ो हेतु साधारण पैड फार्म पर रसीद जारी कर राशि प्राप्त की है । राशि आज दिन तक भी पंचायत की रोकड़ बही पर दर्ज नहीं की गई है और राशि प्रधान द्वारा बैंक से निकाल कर गबन किया गया है ।

2. इसी प्रकार चैक नं0 003999, दिनांक 15-5-98 को रु0 10,000/- बाबत निर्माण कार्य लिंक रोड़ बरनातर हेतु भी साधारण पैड फार्म पर रसीद जारी कर राशि प्राप्त की है । जिसकी भी प्रविष्टि आज दिन तक पंचायत रोकड़ बही पर नहीं करवाई है और न ही प्रपत्र 6/3 पर रसीदें काटी गई हैं । राशि बैंक से निकाल कर गबन कर रखा हुआ है जो कि आज दिन तक भी जमा सभा निधि नहीं करवाई है ।

3. यह कि जिला अंकेक्षण अधिकारी ऊना द्वारा संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र सं0 पी0 सी0 एच0 एच0 बी0 (2) 64/97-2011, दिनांक 12-3-99 के अधीन इस पंचायत का विशेष अंकेक्षण अवधि 1-4-96 से 31-3-98 तक का माह अप्रैल 1999 में किया गया है । जिसके अधीन उक्त अंकेक्षण पत्र के पैरा नं011 में गम्भीर आपत्तियों व अनियमितताओं का समाधान आज दिन तक भी नही किया गया है । जो कि पंचायत नियम/अधिनियमों की स्पष्ट उल्लंघना व अवहेलना है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती सुनीता कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत चमियाड़ी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए सभा निधी का स्पष्ट गबन/जलहरण व दुरुपयोग किया है जो कि जनहित में नहीं है ।

अतः मैं, मोहन लाल राठौर, जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुनीता कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत चमियाड़ी, विकास खण्ड, बंगाणा, जिला ऊना को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाए तथा यह भी आदेश देता हूं कि इस नोटिस का उत्तर 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए । अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है । इसलिए एक-तरफा कार्यवाही की जाएगी ।

मोहन लाल राठौर,
जिला पंचायत अधिकारी,
ऊना, जिला ऊना ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित